न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

म्यूटेशन रिविजनवाद सं0—03/2020–21

जियाउल शेख
बनाम
गाजी सलाउद्धीन एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

यह रिविजन वाद, रिविजनकर्त्ता जियाउल शेख, पिता– स्व0 इस्लाम अली सा0–साहेबनगर, पो0–बड़ापाईकर, थाना–समशेरगंज, अनुमंडल–जंगीपुर, जिला–मुर्शीदाबाद (प0बं0) के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय के दाखिल खारिज अपील वाद सं0–01/2014–15 में दिनांक 19.08.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध (1) झारखण्ड राज्य (2) मो0 गाजी सलाउद्धीन, पिता–स्व0 मौलवी गियायुद्धीन (3) मो0 नईउद्धीन, पिता–स्व0 मुंशी अब्दुल कसीम (4) मो0 खैरूल आलम, पिता–स्व0 अब्दुल कासीम, 2 से 4 का सा0–भवानीपुर, थाना–पाकुड़ (मु0) जिला– पाकुड़ को पक्षकर बनाते हुए दाखिल किया गया।

मामला संक्षेप में यह है कि पाकुड़ अंचल के मौजा–बल्लभपुर न0–168 के ज0स0–203/क के दाग सं0–427 अन्तर्गत आंशिक रकवा 00–08–00 धूर जमीन का दाखिल खारिज अपने नाम करने हेतु जियाउल शेख (इस वाद के रिविजनकर्त्ता) के द्वारा अंचल कार्यालय, पाकुड़ में आवेदन दाखिल किया गया। दाखिल आवेदन पर दाखिल खारिज वाद सं0–3042/2011–12 संस्थित करते हुए दिनांक 29.03.2012 को पारित आदेश द्वारा उक्त भूमि का नामान्तरण जियाउल शेख के पक्ष में किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध मो0 गाजी सलाउद्धीन एवं अन्य (इस वाद के विपक्षी सं0 02 से 04) के द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पाकुड़ के न्यायालय में अपील दायर किया गया, जिसके आधार पर दाखिल खारिज अपील वाद सं0–01/2014–15 संस्थित करते हुए सुनवाई की गई एवं दिनांक 19.08.2015 को पारित आदेश द्वारा अंचल अधिकारी, पाकुड़ के दाखिल खारिज वाद सं0–3042/2011–12 में दिनांक 29.03.2012 को पारित आदेश को निरस्त (Set-aside) कर दिया गया। यह रिविजन वाद विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पाकुड़ के इसी आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को विस्तार पूर्वक सुना गया। रिविजनकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत दाग सं0–427 अन्तर्गत कुल

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पण
1	2	

रकवा 05–02–17 धुर जमीन विगत सर्वे खतियान में रहमतुल्ला शेख के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि का आपसी बटवारा रहमतुल्ला शेख के चार पुत्रों के बीच हुआ एवं रकवा 01–06–15 धुर जमीन अयुब अली को हिस्सा में प्राप्त हुआ। अयुब अली के पुत्र तमीजुद्धीन विश्वास है। तमीजुद्धीन विश्वास के पुत्र इस्लाम अली है एवं इस्लाम अली के पुत्र जियाउल शेख (रिविजनकर्त्ता) है। अयुब अली के द्वारा हिस्से में प्राप्त भूमि 01–06–15 धुर में से आंशिक रकवा 00–08–00 धुर जमीन अपने पौत्र इस्लाम अली को निबंधित केवाला सं0–7016 दिनांक 17.08.1983 के माध्यम से विक्रय किया गया। उक्त 00–08–00 धुर भूमि का क्रय के बाद से ही इस पर इस्लाम अली एवं बाद में जियाउल शेख (रिविजनकर्त्ता) का दखल कब्जा रहा है। इस्लाम अली द्वारा किसी कारणवश प्रश्नगत भूमि का नामान्तरण नहीं कराया जा सका। बंटवारा में उक्त भूमि जियाउल शेख को प्राप्त हुई। बाद में वर्ष–2011–12 में जियाउल शेख के द्वारा प्रश्नगत भूमि का नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी, पाकुड़ को आवेदन दिया गया एवं दाखिल खारिज वाद सं0–3042/2011–12 में दिनांक 29.03.2012 को पारित आदेश द्वारा जियाउल शेख के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया गया।

उनका आगे कहना है कि अयुब अली के पुत्र तमीजुद्दीन विश्वास द्वारा प्रश्नगत दाग सं0–427 अन्तर्गत अपने पिता को हिस्से में प्राप्त भूमि रकवा 01–06–15 धुर जमीन का नामान्तरण अपने पक्ष में गलत तरीके से करा लिया गया। जबकि उन्हें 00–08–00 धुर भूमि छोड़कर शेष भूमि का नामान्तरण कराना चाहिए था। उक्त तमीजुद्धीन विश्वास एवं समसुल हक के द्वारा निबंधित केवाला सं0– 2456 दिनांक 27.02.1986 के द्वारा रकवा 00–18–00 धुर जमीन विपक्षी सं0 02 से 04 तक को बेच दिया गया। उनका आगे कहना है कि अयुब अली को हिस्से में 01–06–15 धुर जमीन प्राप्त थी। यदि उसमें से 00–18–00 धुर जमीन घटा भी दिया जाए तब भी 00–08–15 धुर जमीन शेष रहती है। ऐसे में रिविजनकर्त्ता के पक्ष में 00–08–00 धुर जमीन का नामान्तरण से विपक्षी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, परन्तु उन्होंने गलत तरीके से आपत्ति की गई। रिविजनकर्त्ता द्वारा वर्ष–1983 में जबकि विपक्षी द्वारा वर्ष–1986 में भूमि का क्रय किया गया है। स्थापित नियम के अनुसार प्रथम निबंधन मान्य होता है। उनके द्वारा रिविजन आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त (Set-aside) करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी सं0– 02 से 04 तक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत दाग सं0–427 अन्तर्गत कुल रकवा 05–02–17 धुर जमीन विगत सर्वे खतियान में

Scanned with CamScanner

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
3	2	3

रहमतुल्ला विश्वास के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत द्वारा अपने जीवन काल में कई व्यक्तियों को उक्त भूमि का हस्तांतरण किया गया और अंत में 00–08–00 धुर भूमि अपने पौत्र तमीजुद्धीन विश्वास को किया गया। तमीजुद्धीन विश्वास द्वारा प्रश्नगत 00–08–00 धुर भूमि नामांतरण अपने पक्ष में करा लिया गया, जिसका होल्डींग सं0–199 है। बाद में वर्ष 1986 में तमीजुद्धीन विश्वास एवं अब्दुल रसीद द्वारा 00–18–00 धुर भूमि विपक्षी सं0–02 के पिता एवं 03 तथा 04 को निबंधित केवाला सं0–2456/1986 द्वारा क्रिय किया गया। उक्त 00–18–00 धुर में से 00–10–00 धुर भूमि अब्दुल रसीद की जमीन है। रिविजनकर्त्ता का यह दावा गलत है कि अयुब अली को 01–06–15 धुर जमीन प्राप्त हुई। अयुब अली द्वारा निबंधित हिबा के जरिए 00–08–00 धुर जमीन इस्लाम अली को देने का दावा गलत है। इसमें तमीजुद्धीन विश्वास का टीप निशान है जबकि वो शिक्षित व्यक्ति थे तथा इसमें चौहद्दी भी अंकित नही है। आयुब अली का प्रश्नगत भूमि पर किसी तरह का दखल स्वत्व था ही नही तो उनके द्वारा कैसे उक्त सम्पति हिबा की जा सकती है। पंजी–।। में तमीजुद्धीन विश्वास का नाम दर्ज है ऐसे में अयुब अली भूमि का हस्तांतरण नही कर सकते है।

उनका आगे कहना है कि यदि यह मान भी लिया जाय कि जियाउल शेख को प्रश्नगत भूमि अयुब अली द्वारा उनके पिता को हेबा के आधार पर पारिवारिक बटवारे में प्राप्त हुई है, तब भी नामान्तरण केक्रम में अयुब अली के होल्डींग से उक्त भूमि घटाया जाना चाहिए था, परन्तु अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा तमीजुद्धीन विश्वास के होल्डींग से घटा दिया गया जो कि बिल्कुल गलत है।

उनके द्वारा रिविजन आवेदन अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। रिविजनकर्त्ता का दावा है कि अयुब अली विश्वास द्वारा प्रश्नगत 00–08–00 धुर जमीन उनके पिता इस्लाम अली को क्रिय किया गया था। निबंधित दस्तावेज सं0–7016 दिनांक 07.08.1983 से उनके दावे की पुष्टि होती है। विपक्षी का दावा है कि खतियानी रैयत रहमततुल्ला विश्वास ने तमीजुद्धीन विश्वास को 00–08–00 धुर भूमि का हस्तांतरण किया था। परन्तु इस संदर्भ में कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है, जिससे उनके दावे की पुष्टि हो सके। तमीजुद्धीन विश्वास के पिता अयुब अली है एवं इस्लाम अली तमीजुद्धीन विश्वास के पुत्र है। विपक्षी का यह दावा कि अयुब अली का प्रश्नगत भूमि पर कोई दखल अधिकार, स्वत्व नहीं था। यदि पिता को ही प्रश्नगत भूमि पर कोई हक

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

नहीं था तो उनके पुत्र तमीजुद्धीन विश्वास को यह हक किस तरह हस्तांतरित हुआ अथवा प्राप्त हुआ, यह विपक्षी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है।

विपक्षी का कहना है कि अंचल अधिकारी द्वारा अयुब अली के होल्डिंग से प्रश्नगत 00–08–00 धुर भूमि को घटाना चाहिए था, परन्तु तमीजुद्धीन विश्वास के होल्डिंग से घटा दिया गया। इस संदर्भ में अंचल अधिकारी, पाकुड़ के दाखिल खारिज वाद सं0–3042/2011–12 का अवलोकन किया गया। विपक्षी का यह दावा प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत भूमि तमीजुद्धीन विश्वास के होल्डिंग से घटाया गया है जबकि उक्त भूमि अयुब अली के होल्डिंग से घटाना चाहिए था। इस प्रकार अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है। रिविजनकर्त्ता का कहना है कि तमीजुद्धीन विश्वास के द्वारा प्रश्नगत 00–08–00 धुर भूमि छोड़कर अपने नाम नामान्तरण कराया जाना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा अयुब अली को हिस्से में प्राप्त रकवा 01–06–15 धुर भूमि का ही नामान्तरण करा लिया गया। दाखिल खारिज वाद सं0–3042/2011–12 से स्पष्ट है कि तमीजुद्धीन विश्वास के नाम रकवा 01–06–15 धुर भूमि की होल्डिंग संस्थित है। परन्तु प्रश्नगत मामले में इस विषय पर विवेचना उचित नहीं है। यदि उक्त होल्डिंग सं0–199 से रिविजनकर्त्ता असहमत है तो होल्डिंग सं0–199 को सृजित करने वाले दाखिल खारिज वाद में पारित आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय की शरण में जा सकते है।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा प्रश्नगत भूमि रकवा 00–08–00 धुर का नामान्तरण करने में गलती की गई है। इस प्रकार निम्न न्यायालय के आदेश से असहमत होने का कोई औचित्यपूर्ण आधार नहीं है।

अतः रिविजन आवेदन अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा जाता है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.03.02 18:05:59 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:248a:21af:3557:aac0

उ पा यु क्त,
पाकुड़।

Scanned with CamScanner